FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0233 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/08/2026 18:03 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 15/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 17/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/08/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/08/2026 18:03:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 30 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** HARSAULI ROAD KHAIRTHAL, HOTAL ROYAL PALACE, JILA KHAIRTHAL TIJARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIKARAM SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAJVEER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	JAT BHAGOLA,POST AJARKA, MUNDAWAR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAT BHAGOLA,POST AJARKA, MUNDAWAR, खैरथल-तिजारा, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GAJENDRA SINGH		पिता:RAMSARAN GURJAR	1. DHAHLA BAAS,MUNDAWAR, खैरथल-तिजारा,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 15.08.2026 को वक्त करीब 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह, जाति जाट,उम्र 29 साल, निवासी गांव जाटभगोला, पोस्ट अजरका, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा, ने उपस्थित होकर एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन उप पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पेश किया कि ''एसीएम मुण्डावर के न्यायालय में मेरे चाचा उदयसिंह द्वारा भूमि बटवारे के लिए वाद संख्या 169/2025 उदयसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य कर रखा है उक्त दावे में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार मुण्डावर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार व पटवारी के द्वारा बिना मौके देखे ही कुरेजात रिपोर्ट एसीएम कोर्ट में पेश कर दी है। उक्त तथ्य मेरी जानकारी में आने पर मेरे द्वारा दिनांक 17.07.2026 को तहसीलदार द्वारा दी गई कुरेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करने व पुनः मौके के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.07.2026 को पेश किया, उस पर कोई कार्यवाही नही होने से मै दिनांक 14.08.2026 को एसीएम साहब श्री मनीष जाटव से मिला और मेरे केस के बारे में बातचीत की तो उन्होने मुझसे उनके ड्राईवर गजेन्द्र से बात करने के लिए कहा, एसीएम साहब के कहने पर मैं उनके ड्राईवर गजेन्द्र से मिला तो उसने कहा एसीएम साहब ने आपके लिए बता दिया है आपके केस में दुबारा कुरेजात रिपोर्ट आदेश कर देंगे। इसके लिए साहब ने 50,000 पहले देने के लिए कहा। मै एसीएम साहब व उनके ड्राईवर गजेन्द्र उर्फ गजराज का रिश्वत नही देना चाहता हूं उनको मै रंगें हाथो पकडवाना चाहता हुं। इस मन उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी श्री विक्रम सिंह को पढकर सुनाया जाकर दरियाफ्त की गई तो प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि ड्राईवर गजेन्द्र उर्फ गजराज से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है और ना ही पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया है। प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने सहायक कलक्टर मुण्डावर का नाम श्री मनीष जाटव होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर परिवादी से आरोपी श्री मनीष जाटव से रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कहा तो परिवादी ने बताया कि एसीएम साहब मुण्डावर ने मुझे दिनांक 14.08.2026 को ही कह दिया था आप मेरे ड्राईवर से बात कर लो, मैं तुम्हारा काम कर दुंगा, अब मेरे पास मत आना। एसीएम का ड्राईवर श्री गजेन्द्र मुझसे मोबाईल पर वार्ता कर लेता, क्यूकि उसने मुझसे कहा है कि मेरे से मोबाईल पर ही बात कर लेना। मैं ड्राईवर श्री गजेन्द्र उर्फ से मोबाईल पर बात कर रिश्वत मांग सत्यापन करवा दूंगा। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री भास्कर हैड कानि. को कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय कराया गया व कार्यवाही से अवगत कराया जाकर आलमारी से विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सनडिस्क 32 जीबी डालकर चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई और हैड कानि. को निर्देषित किया कि अभी परिवादी श्री विक्रम सिंह आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज वाहन चालक/ड्राईवर, सहायक कलक्टर मुण्डावर से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में वार्ता करेंगे आपको उक्त वार्ता रिकार्ड करनी है। तत्पष्चात मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री विक्रम सिंह के मोबाईल नं0 पर संदिग्ध आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज के मोबाईल नम्बर से मिस काल आने पर परिवादी श्री विक्रम सिंह के मोबाईल से आरोपी ड्राईवर श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज के मोबाईल पर साधारण काल कर मोबाईल का स्पीकर आन किया जाकर वार्ता करवाई गई। इसके बाद समय करीब 10.53 एएम पर परिवादी श्री विक्रम सिंह के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज के मोबाईल पर मोबाईल का स्पीकर आन करवाकर वाटसअप काल करवाया जाकर वार्ता करवाई गई। इसके बाद समय करीब 11.49 एएम पर परिवादी श्री विक्रम सिंह के मोबाईल पर आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज के मोबाईल से वाट्सअप काल आने पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर आन करवाया जाकर वार्ता करवाई गई तथा दोनो के मध्य हुई साधारण काल/वाट्सअप काल वार्ताओं को विभागीय डिजिटल टेप रिकार्डर में श्री भास्कर हैड कानि0 से रिकार्ड करवाया गया। उक्त वार्ताओं अनुसार आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी के काम के लिए एसीएम मुण्डावर के लिए 50,000/- रूपये की स्पष्ट मांग करना पाया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 2.00 पी.एम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर से पाबन्दशुदा दो कर्मचारी उपस्थित कार्यालय आये। जिनसे मन उप अधीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री कार्तिक नन्दा पुत्र श्री राजकुमार उम्र 26 साल जाति वालमीकी निवासी हजूरी गेट अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं षिषु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री राजन मीणा पुत्र श्री

कमल मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी देवयानी हास्पिटल के पिछे अलवर हाल कनि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर होना बताया। जिनका कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री विक्रमसिंह से परिचय करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा दिनांक 15.08.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी से आरोपी श्री गजेन्द्र, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर से मोबाईल पर करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 2.10 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री विक्रम सिंह एवं आरोपी श्री गजेन्द्र वाहन चालक, सहायक कलेक्ट्रर मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 15.08.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मोबाईल एवं व्हाटस्प पर हुई वार्ता जो विभागीय टेपरिकार्डर में लगे एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के फोल्डर 01 में रिकार्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर दिनांक 15.08.2026 को कार्यालय की आलमारी मे रखवाये गये राजकीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को दिनांक 15.08.2026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटाप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वार्ताएं रिकार्ड होना पाई गई जिसका विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर उपरोक्त वार्तालाप परिवादी श्री विक्रम सिंह व दोनो गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी विक्रम सिंह ने रिकार्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री गजेन्द्र वाहन चालक सहायक कलेक्ट्रर मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा की होने की पहचान की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटाप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटाप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर साफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A1 A2 A3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री विक्रम सिंह के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A1 A2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A1 A2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटोप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर साफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई, तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल एवं व्हाटस्अप वार्ता दिनांक 15.08.2026 की रिकार्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री सुण्डाराम कानि0 02 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर दोनो गवाहान श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर को काल करने पर उपस्थित आने व गोपनीयता की हिदायत देकर कार्यालय से जाय तैनाती के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.40 पी.एम परिवादी श्री विक्रम सिंह की आरोपी श्री गजेन्द्र, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर से रूबरू रिश्वत मांग सत्यापन कराने के लिए कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर जिसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर, परिवादी श्री विक्रम सिंह को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी श्री विक्रम सिंह के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में रूबरू वार्ता करे तथा हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री विक्रम सिंह को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी के साथ आसपास रहकर परिवादी व आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास तथा रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 5.50 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 ने मन उप जरिये वाटसअप काल अवगत करवाया कि परिवादी श्री विक्रम सिंह ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग राशि सहित साथ लेकर कार्यालय आने के निर्देश दिये। जिस पर श्री सुण्डाराम ने परिवादी श्री विक्रमसिंह से वार्ता करवाई तो परिवादी ने बताया कि साहब आपके निर्देशानुसार मैं और आपके कर्मचारी श्री सुण्डाराम आपके कार्यालय से रवाना होकर उलाहेडी बस स्टैण्ड पहूंचे इसके बाद श्री सुण्डाराम ने डिजीटल टैप रिकार्डर चला कर मुझको सुपुर्द किया जिसे मैनें अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मेरे मोबाईल नम्बर

से श्री गजेन्द्र ड्राईवर के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप काल कर मिलने के लिए पूछा तो श्री गजेन्द्र ने गोपीपुरा रोड पर उलाहेडी से एक डेढ किलोमीटर दूर मिलने के लिए कहा, वहां से मैं मोटरसाईकिल पर रवाना होकर उलाहेडी से एक डेढ किलोमीटर दूर गोपीपुरा रोड पर पहूंचा तो गजेन्द्र ड्राईवर गोपीपुरा की तरफ से मोटरसाईकिल से आता हुआ मिला जिसने मुझे देखकर मोटरसाईकिल को रोक लिया, जहां गजेन्द्र ड्राईवर व मैनें मोटरसाईकिल रोड के साईड में खडी कर दी, जिससे मैनें "एसीएम मुण्डावर के न्यायालय में मेरे चाचा उदयसिंह द्वारा भूमि बटवारे के लिए वाद संख्या 169/2025 उदयसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य में मदद करने के संबंध में बातचीत की तो गजेन्द्र ड्राईवर ने कहा एसीएम साहब से बात हो गई तेरी डिक्री हटवा दुंगा और एसीएम साहब के लिए 50000/- व खुद के लिए 5000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा उसी वक्त गजेन्द्र ड्राईवर ने मेरे से 15000/-रूपये रिश्वत के ले लिए तथा 40,000/-रूपये कल देने के लिए कहा लेकिन मेरे द्वारा निवेदन करने पर कि पैसे की व्यवस्था नहीं है मैं सोमवार को आपको बकाया राशि 40000/-रूपये दे दुंगा। उक्त वार्ता को रिकाॅर्डर में रिकाॅर्ड कर लिया जिसे चालू हालत में श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दे दिया जिसे उन्होनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। परिवादी से रिश्वत राशि के साथ कार्यालय आने की कहने पर परिवादी ने बताया की इस समय मेरे पास रूपये नहीं है, मुझे पैसों की भी व्यवस्था करनी है इसलिए मैं पैसों की व्यवस्था कर दिनांक 17.08.2026 सोमवार को आपके कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा परिवादी द्वारा बताई गई बातों की ताईद श्री सुण्डाराम हैड कानि. द्वारा भी की गई। इस पर मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 17.08.2026 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत देकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को निर्देश दिये गये आप परिवादी को मौके पर ही छोडकर वाईस रिकार्डर सहित उपस्थित कार्यालय आवें। तत्पश्चात वक्त करीब 7.20 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं और परिवादी श्री विक्रम सिंह कार्यालय से रवाना होकर उलाहेडी बस स्टैण्ड पहूंचे इसके बाद मेरे द्वारा डिजीटल टैप रिकार्डर चला कर परिवादी को सुपुर्द किया जिसे परिवादी ने अपने पास सुरक्षित रख लिया इसके बाद परिवादी ने अपने मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री गजेन्द्र ड्राईवर के मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप काल कर मिलने के लिए पूछा तो श्री गजेन्द्र ने गोपीपुरा रोड पर उलाहेडी से एक डेढ किलोमीटर दूर मिलने के लिए कहा, जिस पर परिवादी को मोटरसाईकिल पर गोपीपुरा रोड पर रवाना कर दिया गया और मैं भी अपनी उपस्थित छुपाते हुये उसके पीछे पीछे रवाना होकर कुछ दूरी पर खडा होकर नजरे बनाई हुई थी, समय करीब 20-25 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया और चालू हालत में टेप रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसे मैने बन्द कर सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया कि गजेन्द्र, ड्राईवर से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में बात हो गई है। उक्त बाते जरिये वाट्सएप काल आपको परिवादी ने बता दी थी। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी से आरोपी श्री गजेन्द्र, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर द्वारा "एसीएम मुण्डावर के न्यायालय में परिवादी के चाचा उदयसिंह द्वारा भूमि बटवारे के लिए वाद में एसीएम द्वारा डिक्री हटवाने के संबंध में बातचीत करना व एसीएम मुण्डावर श्री मनीष जाटव के लिए 50000/- व स्वयं के लिए 5000/-रूपये रिश्वत की मांग किया जाना और दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से 15000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा 40,000/-रूपये बकाया रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 17.08.2026 को वक्त करीब 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री विक्रम सिंह उपस्थित कार्यालय आये जिसे कार्यालय मे बैठाया गया और मन उप अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री गजेन्द्र, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास 25000/-रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। इस पर मन उप अधीक्षक ने परीवादी से पूछा कि दिनांक 15.08.2026 को हुई रूबरू मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपी गजेन्द्र, ड्राईवर ने बकाया 40,000/-रूपये रिश्वत देने के लिए कहा है और आप 25000/-रूपये लेकर आये हो इस पर परिवादी ने कहा कि साहब मेरे पास व्यवस्था नहीं हो पाई इतनी राशी ही मुश्किल से करके लेकर आया हूं। मैं शेष रिश्वती राशी के लिए बाद में देने के लिए मना लुंगा। तत्पष्चात पाबन्दशुदा गवाहान श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर हाजिर कार्यालय आये। परिवादी श्री विक्रम सिंह का दोनों गवाहान से पुनः परिचय करवाया जाकर दोनों गवाहान को परिवादी से आरोपी श्री गजेन्द्र, ड्राईवर, सहायक कलक्टर (एसीएम) मुण्डावर से दिनांक 15.08.2026 को करवाये गये मोबाईल/रूबरू रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी श्री गजेन्द्र वाहन चालक, सहायक कलेक्ट्रर मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 15.08.26 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय मोबाईल एवं रूबरू हुई वार्ता जो विभागीय टेपरिकार्डर में लगे एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के फोल्डर 01 में रिकार्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर दिनांक 15.08.26 को कार्यालय की आलमारी मे रखवाये गये राजकीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटाप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकार्ड वार्तालाप को सुना जाकर, रिकार्ड वार्ता का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर

उपरोक्त वार्तालाप परिवादी श्री विक्रम सिंह व दोनो स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी विक्रम सिंह ने रिकार्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री गजेन्द्र वाहन चालक, सहायक कलेक्ट्रर मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा की होने की पहचान की गई। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के लैपटाप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटाप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर साफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B1 B2 B3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री विक्रम सिंह के हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क B1 B2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B1 B2 अंकित कर शील्डमोहर कर दोनो गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वायस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटाप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर साफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड SanDisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 15.08.2026 की रिकार्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 1.15 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विक्रम सिंह को आरोपी श्री गजेन्द्र ड्राईवर, सहायक कलक्टर मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी ने भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल राशी 25,000/- रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा गवाहान के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 25000/-रूपये के नोटो का फर्द में अंकित करवाया जाकर, उपरोक्त पेश शुदा नोटो को दोनो गवाहान, परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राशी मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोटो कुल 25000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री नरेश कुमार शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीषी निकलवाई जाकर श्री नरेश कुमार शर्मा, से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पष्चात परिवादी विक्रम सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलनमुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये परिवादी की पहने हुये लोवर की बांयी साईड की जेब में रखवाये गयेे, तथा परिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्वारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिस काल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवष्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री नरेश कुमार शर्मा, से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री नरेश कुमार शर्मा,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथो में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथो से प्राप्त की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात श्री नरेश कुमार शर्मा, के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप कार्यवाही में उपयोग में आने वाली शीशीया व ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से से धुलवाया गया तथा ट्रैप बाक्स में रखवाया गया, तथा परिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पष्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकार्डर परिवादी को

आवष्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालुकर सुपुर्द करे और श्री नरेश कुमार शर्मा, को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 पी.एम पर अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, सुनीता हैड कानि0 148, मनीषा हैड कानि. 60, रामजीत सिंह कानि. 206, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री भगवान सिंह कानि. 125, श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बाक्स मय सरकारी लैपटाप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान सामग्री के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व एक प्राईवेट वाहन तथा परिवादी श्री विक्रम सिंह को उसकी मोटरसाईकिल व श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सरकारी मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब मुण्डावर के लिये रवाना हुआ। श्री नरेश कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी को बाद हिदायत चोकी पर छोडा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा मुण्डावर से पहले स्थित भेडण्टा चोराहा पहूंचे जहां वाहनो को रोड के साईड वाली खाली जगह में खडा करवाकर, परिवादी से आरोपी श्री गजेन्द्र की लोकेशन जानने के लिए परिवादी से मोबाईल का स्पीकर आन करवाकर वाटसअप काल करवाया गया तो आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज ने एसीएम मुण्डावर को किशनगढबास छोडने जाना बताया और परिवादी को रेल्वे फाटक खैरथल तिजारा पर मिलने के लिए कहा जिस पर आरोपी की परिवादी से हुई वाट्सअप वार्ता के अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के भेडण्टा चोराहा से खैरथल तिजारा के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 5.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा रेल्वे फाटक खैरथल तिजारा पहूंचे, जहां वाहनो को रोड के साईड वाली खाली जगह में खडा करवाकर, परिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री गजेन्द्र की लोकेशन जानने के लिए परिवादी से मोबाईल का स्पीकर आन करवाकर पुनः वाटसअप काल करवाया गया तो आरोपी श्री गजेन्द्र ने एसीएम मुण्डावर को किशनगढबास छोडने जाना बताया और परिवादी को हरसोली रोड पर इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प के पास स्थित होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट खैरथल तिजारा पर मिलने के लिए कहने पर आरोपी की परिवादी से हुई वाट्सअप वार्ता के अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के रेल्वे फाटक खैरथल तिजारा से इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प के पास स्थित होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 6.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा रवानाशुदा इण्डियन आॅयल पेट्रोल पम्प के पास स्थित होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट के पास पहूंचे, जहां वाहनो को रोड के साईड वाली खाली जगह में खडा करवाकर, समय करीब 06.44 पीएम पर डिजिटल टेपरिकार्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द करवाया गया और परिवादी को मुनासिब हिदायत देकर आरोपी श्री गजेन्द्र उर्फ गजराज, चालक, एसीएम मुण्डावर के आने के इन्तजार में होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट पर रवाना किया परिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये होटल व दुकानों के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। वक्त करीब 7.25 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विक्रम सिंह ने खैरथल हरसौली रोड पर स्थित होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट के सामने खडे होकर सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो को हमराह लेकर उक्त होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट पर पहूंचे जहां पर की बिल्डिग में ही बनी हुई शराब की दुकान के बाहर खडे परिवादी श्री विक्रम सिंह से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने उक्त दुकान पर पेन्ट शर्ट पहने हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की साहब ये ही श्री गजेन्द्र सिंह उर्फ गजराज है, जिसने अभी अभी मेरे से एसीएम मुण्डावर के न्यायालय में मेरे चाचा उदयसिंह द्वारा भूमि बटवारे के लिए वाद संख्या 169/2025 उदयसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य कर रखा है उक्त दावे में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार मुण्डावर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार व पटवारी के द्वारा बिना मौके देखे ही कुरेजात रिपोर्ट एसीएम कोर्ट में पेश कर दी है। दिनांक 17.07.2026 को तहसीलदार द्वारा दी गई कुरेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करने व पुनः मौके के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिनांक 17.07.2026 को पेश किया, उस पर कोई कार्यवाही नही होने से मै दिनांक 14.08.2026 को एसीएम साहब श्री मनीष जाटव से मिला और केस के बारे में बातचीत की तो उन्होने परिवादी से उनके ड्राईवर गजेन्द्र से बात करने के लिए कहा, एसीएम साहब के कहने पर परिवादी उनके ड्राईवर गजेन्द्र से मिला तो उसने कहा एसीएम साहब ने आपके लिए बता दिया है आपके केस में दुबारा करेजात रिपोर्ट आदेश करने के लिये 25000/- रूपये की रिश्वत मांगकर व लेकर अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये है। इस पर मन उप अधीक्षक ने उक्त शराब की दुकान पर खडें हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का

मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो घबरा गया और कुछ नही बोला इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने स्टाफ के साथ उक्त व्यक्ति को उक्त शराब की दुकान के पास ही स्थित रेस्टोरेन्ट के अन्दर ले गये और रेस्टोरेन्ट मे लगी कुर्सी पर बैठाकर उसे तसल्ली दी जाकर पुनः उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पुनः गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला वास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक (संवीदा कर्मी) जिला परिषद जिला खैरथल-तिजारा होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष श्री गजेन्द्र सिंह से परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि अभी कहां है के बारे में पूछा तो श्री गजेन्द्र सिंह, ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष बताया की अभी कुछ देर पहले मेरी विक्रम सिंह से बात हुई थी तो मैने उसको उक्त होटल पर मिलने के लिये कहा था मै अभी जिला परिषद की गाडी के साथ होटल राॅयल पैलेस के बगल में पट्रोल पम्प पर उक्त गाडी को खडा कर इस होटल पर आया तो मुझे ये विक्रम सिंह यहां पर खडा हुआ मिला हम दोनो बात करते हुये उक्त के अन्दर गये जहां पर इसने मुझसे एसीएम साहब मुण्डावर के कोर्ट में चल रहे दावे में डिक्री करवाने व तहसीलदार से पुनः मौके की कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने के बारे में बातचीत की और मैने इससे तयशुदा पैसे मांगे तो इन्होने मुझे अपने जेब से कुछ रूपये निकाल कर दिये मैने रूपये विक्रम से अपने हाथ मे लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रख लिये है जो अभी मेरी उक्त जेब में रखी हुई है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने पूछा की अभी आपने अपने आपको जिला परिषद की गाडी के साथ आना बताया है, आप एसीएम मुण्डावर के ड्राईवर हो या जिला परिषद इस पर दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने बताया की साहब श्री मनीष जाटव साहब एसीएम मुण्डावर के पद पर है, तथा एसीएम मुण्डावर के पद के साथ साथ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद खैरथल-तिजारा का भी चार्ज है, इसलिये एसीएम साहब जिला परिषद के वाहन संख्या RJ02-TA 3848 का उपयोग एसीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है और एसीएम साहब श्री मनीष जाटव के यहा ड्यूटी कर रहा हूं। इस पर पास खडे परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया की साहब मेरे चाचा उदयसिंह द्वारा हमारी भूमि के बटवारे के लिये एसीएम कोर्ट मुण्डावर वाद संख्या 169/2025 उदयसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य कर रखा है उक्त दावे में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार मुण्डावर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार व पटवारी के द्वारा बिना मौके देखे ही कुरेजात रिपोर्ट एसीएम कोर्ट में पेश कर दी है। दिनांक 17.07.2026 को तहसीलदार द्वारा दी गई कुरेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करने व पुनः मौके के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा दिनांक 17.07.2026 को पेश किया, उस पर कोई कार्यवाही नही होने से मै दिनांक 14.08.2026 को एसीएम साहब श्री मनीष जाटव से मिला और हमारे केस के बारे में बातचीत की तो उन्होने मुझसे इनसे बात करने के लिए कहा, एसीएम साहब के कहने पर मै उसी दिन इनसे मिला तो इसने मुझसे कहा एसीएम साहब ने आपके लिए बता दिया है आपके केस में दुबारा कुरेजात रिपोर्ट आदेश कर देंगे, इसके लिए एसीएम साहब ने 50,000/-रूपये पहले देने के लिय कहा है। इसके द्वारा मुझसे 50000/-रूपये की रिश्वत मांगने पर मैने दिनांक 15.08.2026 को आपको एसीबी चौकी अलवर पर आकर एक लिखित शिकायत दी गई, जिस पर आप द्वारा दिनांक 15.08.2026 को ही रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन मोबाईल व इसके पास भेजकर करवाया जाने पर श्री गजेन्द्र सिंह ने मुझसे हमारे केस मे एसीएम साहब मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से कुरेजात रिपोर्ट दुबारा मंगवाने व डिक्री के आदेश करवाने के लिये रिश्वत मांग सत्यापन के समय 50000/-रूपये श्री मनीष जाटव, एसीएम साहब मुण्डावर व 5000/-रूपये स्वयं के लिये मांगे तथा उसी समय मांग सत्यापन के दौरान 15000/-रूपये रिश्वत के ले लिये तथा बकाया रिश्वत राशि 40000/-रूपये आज दिनांक 17.08.2026 को देने के लिये कहा जिस पर मेरे द्वारा 40000/-रूपये की व्यवस्था नही होने से मैने आपको 25000/-रूपये पेश किये इस पर आप द्वारा पाउडर लगवाकर गजेन्द्र को देने के लिये मुझे सुपुर्द किया था अभी थोडी देर पहले गजेन्द्र से मेरी बात तो इसने मुझे उक्त होटेल पर बुलाने पर मै आपके निर्देशानुसार इस होटल पर आया और कुछ देर बाद श्री गजेन्द्र सिंह जी आ गये और मैने इनसे मेरे केस के बारे मे बातचीत की और हम बातचीत करते हुये होटल के अन्दर चले गये जहां मैने अपनी जेब मे रखी पाउडर युक्त रिश्वत राशि श्री गजेन्द्र के मांगने पर अपनी जेब से निकालकर कर दे दी और इन्होने अपने हाथो मे लेकर गिनने लगे तब मैने इनसे कहा की 25000/-रूपये ही बन पाये है तो इन्होने मुझसे कहा की बाकी के 15000/-रूपये कब दोगे तो मैने एक दो दिन मे 15000/-रूपये और देने की कही इस पर इन्होने ने उक्त पाउडर लगे नोट 25000/- अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब मे रख लिये जो अभी इनकी जेब मे ही रखे हुये है। इसके बाद मै आपको ईशारा करने के लिये उक्त होटल में बनी शराब की दुकान के पास आकर आपको निर्धारित ईशारा कर दिया और इतने मे ही ये भी मेरे पास आकर खडा हो गया और इतने मे ही आप आ गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री गजेन्द्र से रिश्वत राशि के बारे पुनः पूछा तो आरोपी ने दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने बताया की श्री विक्रम सिंह व उनके चाचा का एक दावा एसीएम कोर्ट मुण्डावर मे चल रहा है, उक्त केस के संबंध में दिनांक 14.08.2026 को ये एसीएम कोर्ट मे आये थे और एसीएम साहब से मिले थे इसके बाद एसीएम साहब ने मुझे इनसे बात करने के लिये कहा मैने इनके केस में एसीएम साहब से मदद करवाने के लिये 50000/-रूपये एसीएम साहब को देने के लिये कहा था इसके बाद इनसे दिनांक 15.08.2026 को मेरी इनसे फोन पर बातचीत हुई तथा इसके बाद उसी दिन शाम को मुझसे आकर मिला तो मैने इनको 50000/-रूपये एसीएम साहब के लिये 5000/-रूपये मेरे को देने के लिये कहा तो इसने मुझे 15000/-रूपये उसी दिन दे दिये तथा बकाया 40000/-रूपये आज देने

का कहकर चलेगये थे आज दिन मे श्री विक्रम से बातचीत हुई तो मैने इनको खैरथल में फाटक के पास आने के लिये कहा था। इसके बाद मैने इसको उक्त पर आने के लिये कहा था और कुछ देरे पहले मै इस होटल पर आया तो ये मुझे यही पर मिला और मै इनको उक्त होटल के अन्दर इसके काम से संबंधित बातचीत करते हुये अन्दर गये तो अन्दर जाकर इसने 25000/- रूपये दिये जो मैने अपने दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये और बाकी 15000/- एक दो दिन में देने के लिये कहा और ये बाहर चला गया और इसके पिछे मै भी बाहर आकर उक्त पर बनी शराब की दुकान के पास आकर खडा हो गया इतने आप आ गये और मुझे उक्त होटल के अन्दर लेकर आ गये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह से पूछा की अभी आप स्वयं ने बताया की परिवादी विक्रम सिंह दिनांक 15.08.2026 को लिये गये 15000/-रूपये आज दिनांक 17.08.2026 को 25000/-रूपये की राशि श्री मनीष जाटव एसीएम मुण्डावर के कहने पर ली है तो आप उक्त राशि प्राप्त होने के बारे में श्री मनीष जाटव से बात करने के लिये कहा तो आरोपी ने बात करने से मना कर दिया। तत्पश्चात उक्त होटल से पानी की बोतल मगवायी जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, के दांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1, R-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल मे आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L-1, L-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी से पुनः परिवादी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उक्त राशि अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखी होना बताया। इस पर आरोपी की जेब में रख हुई राशि को गवाह श्री कार्तिक नन्दा से बाहर निकलवाने पर 500-500 रूपये की कुछ नोट मिले जिनसे पूर्व में बनी फर्दपेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500-500 के 50 नोट कुल 25000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये तथा आरोपी की बांयी जेब मे एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का मिला जिन्हे गवाह श्री कार्तिैक नन्दा के पास सुरक्षित रखवाये गया। मौके पर लोगो की भीडभाड होने एवं होटल में ग्राहको के आने जाने से कार्यवाही हेतु उपयुक्त व्यवस्था नही होने तथा कार्यवाही बाधित होने के कारण मौके से अब तक की कार्यवाही में जप्तशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बाक्स मय साजो सामान तथा मय निरूद्धशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के उक्त होटल रायल पैलेस एण्ड रेस्टोरेन्ट से बाहर निकलकर आरोपी श्री गजेन्द्र के बताये अनुसार इण्यिन आयल पट्रोल पम्प पर खडे वाहन जिस पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ है जिसके नम्बर RJ02-TA 3848 है जिसकी चाबी के बारे में आरोपी श्री गजेन्द्र से पूछा तो स्वयं के पास होना बताया इस पर आरोपी से वाहन को खुलवाकर चैक किया गया तो कोई संदिग्ध दस्तावेज/राशि बरामद नही हुई, उक्त कार्यवाही की विडियो ग्राफी की गई तथा उक्त वाहन को श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को महिला थाना खैरथल में आने के निर्देश दिये गये तथा हमरा साथ लाये गये वाहनो से निरूद्धशुदा आरोपी मय वजह सबूत के अग्रिम कार्यवाही हेतु महिला पुलिस थाना खैरथल-तिजारा के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त रवानाशुदा महिला पुलिस थाना खैरथल पहूंच वाहनो को थाना परिसर में खडा करवाया जाकर निरूद्धशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह एवं दोनो गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यो को वाहनो से उतराकर महिला पुलिस थाना खैरथल पहूंच थानाधिकारी को कार्यवाही से अवगत करवाकर थानाधिकारी के कक्ष में पहूंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद आरोपी को थानाधिकारी कक्ष में पहनी हुई पेन्ट की तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवाई गई आरोपी की पेन्ट में कुछ नही मिला इसके बाद आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को सालीनतापूर्वक उतरवाया जाकर लोवर पहनाया गया। इसके बाद ट्रेप बाक्स से एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उक्त गिलास में थानाधिकारी के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल से पानी भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पेन्ट की दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टाकर उक्त गिलास के घोल मे डुबाया गया तो गिलास के धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीषीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त पैन्ट जिसकी दाहिनी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक

सफेद कपडे थैली मे रखकर सीलमोहर कर उक्त थैली पर पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री कार्तिक नन्दा के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री कार्तिक नन्दा ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क TM अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी की जामा तलाशी मे मिला एप्पल कम्पनी का मेक आई फोन 16 मोबाईल फोन बरंग स्काई ब्लयू जो गवाह की कार्तिक नन्दा के पास सुरक्षिक रखवाये गये को पेश करने की कहने पर गवाह श्री कार्तिक नन्दा ने उक्त मोबाईल पेश किया जिसका निरीक्षण करने पर उक्त मोबाईल स्क्रीन लाक होना पाया गया जिस पर आरोपी से पासवर्ड पूछने पर पासवर्ड 850506 होनो बताया जिसको लगाकर चैक किया तो उक्त पासवर्ड सही होना पाया गया। मोबाईल फोन की स्क्रीन पर गाडी नम्बर RJ02-TA 3848 एवं आरोपी श्री गजेन्द्र की फोटो लगी हुई है, उक्त फोन के फोन काल लिस्ट में समय 7.14 पी.एम पर श्री मनीष सर खैरथल एसडीएम नाम से मोबाईल नम्बर मिसकाल है तथा आरोपी श्री गजेन्द्र द्वारा समय 7.13 पर मिस काल है आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा 7.13 पी.एम पर 25 सैकण्ड वार्ता की हुई है इसके बाद उक्त वार्ताओ के अतिरिक्त आरोपी गजेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 14.08.20206, से 17.08.2026 तक कई बार सामान्य काल/ वाट्सअप वार्ता की गई है। उक्त मोबाईल फोन एप्पल बरंग स्काई ब्ल्यू जिसमें एयरटेल कम्पनी की सिम लगी हुई है, जिसके नम्बर होना बताया। उक्त मोबाईल कार्यवाही में वजह सबूत होने से उक्त मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर उक्त थैली को शील मोहर कर उक्त कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क M अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकार्डर में रिकार्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन देने की वार्ता रिकार्ड होना पाई रिकार्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्रीमती मनीषा हैड कानि. से करवाई गई। परिवादी से संबंधित रिकार्ड के लिये जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा को जरिये दूरभाष निवेदन करने पर रात्री होने से रिकार्ड देने मे असमर्थता जताई तथा संबंधित रिकार्ड दिनांक 18.08.2026 को एसीबी कार्यालय अलवर में पेश करने हेतु कहा रिकार्ड प्राप्त होनें पर जरिये फर्द जप्त किया जावेगा। इसके बाद परिवादी श्री विक्रम सिंह व आरोपी गजेन्द्र सिंह को एक साथ आमने सामने कर पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है तो दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया गया। तत्पष्चात वक्त करीब 11.20 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला बास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह हाल वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। वक्त करीब 11.40 पी.एम पर दोनो गवाहान एवं परिवादी विक्रम सिंह एवं आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, वाहन चालक (प्राईवेट वाहन चालक) सहायक कलेक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के मध्य दिनांक 17.08.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई रूबरू वार्ता को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगे सैनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकार्ड है उक्त रिकार्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटाप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकार्ड वार्तालाप को सुना जाकर रिकार्ड वार्ता का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर, उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री विक्रम सिंह एवं आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, वाहन चालक (प्राईवेट वाहन चालक)सहायक कलेक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा की आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वाईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकार्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 16 GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में डले SanDisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकार्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकार्डशुदा वार्तालाप को श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटाप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कापी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क C1 C2 C3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटाप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर साफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क C1 C2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क C1 C2 अंकित कर

शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क C3 को खुला रखा गया। डिजीटल वाइस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटाप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर साफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 17.08.2026 रिकार्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-3 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 18.08.2026 को वक्त करीब 1.10 ए.एम पर दिनांक 15.08.2026 को एसीबी कार्यालय अलवर में परिवादी श्री विक्रम सिंह से आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा से करवाये गये मोबाईल पर रिश्वत मांग सत्यापन में परिवादी व आरोपी के मध्य हुई साधारण काल/वाटसअप काल वार्ताओ को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी मोबाईल फोन में नया मैमोरी कार्ड सनडिस्क 32 जीबी लगाकर विडियोग्राफी से परिवादी के मोबाईल की रनिंग स्क्रीन की गई वीडियोग्राफी व उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री विक्रम सिंह से आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह वाहन चालक (प्राईवेट वाहन चालक) सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा द्वारा 25,000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर परिवादी द्वारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान विभागीय मोबाईल फोन में रिश्वत मांग की विडियोग्राफी का एसडी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, से श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60 से वीडियोग्राफी करवाई गई थी। उक्त विभागीय मोबाईल फोन से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटाप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटाप मे सेव करवाया गया एवं रिकार्ड वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटाप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2, अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1, को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात में एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-4 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड शुदा वार्ताओं की जो पैन ड्राईव बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। तत्पश्चात वक्त करीब 1.40 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष एवं आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला बास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार दी गई। वक्त करीब 2.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 79 को श्री भगवान सिंह कानि. 125 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। वक्त करीब 2.40 ए.एम पर समस्त ट्रेप कार्यवाही के पश्चात परिवादी श्री विक्रम सिंह को बाद कार्यवाही महिला पुलिस थाना खैरथल तिजारा से उसके निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 2.45 ए.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री भास्कर हैड कानि. 59, श्री रामजीत सिंह कानि. 206, श्री भगवान सिंह कानि. 125 व श्री कपिल सोमवंशी वरिष्ठ सहायक, दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बाक्स लैपटाप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से महिला पुलिस थाना खैरथल तिजारा से अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 3.15 ए.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बाक्स लैपटाप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकसहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के महिला पुलिस थाना खैरथल तिजारा से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बाॅक्स के कार्यालय में रखा गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह, वाहन चालक प्राईवेट वाहन चालकको स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.30 ए.एम गवाह श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को बाद कार्यवाही एसीबी चौकी अलवर से जाय तैनाती/निवास के लिए रूखस्त किया गया। वक्त करीब 3.50 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना

प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 15.08.2026 को परिवादी श्री विक्रम सिंह की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 17.08.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला वास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक (संवीदा कर्मी) सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा द्वारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह जाति जाट उम्र 29 साल निवासी गांव जाट भगोला, पोस्ट अजरका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के द्वारा उसके चाचा उदयसिंह द्वारा भूमि बटवारे के लिए वाद संख्या 169/2025 उदयसिंह बनाम विक्रम सिंह व अन्य कर रखा है उक्त दावे में न्यायालय के आदेश से तहसीलदार मुण्डावर से कुरेजात रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार व पटवारी के द्वारा बिना मौका देखे ही कुरेजात रिपोर्ट एसीएम कोर्ट में पेश कर दी है। दिनांक 17.07.2026 को तहसीलदार द्वारा दी गई कुरेजात रिपोर्ट को अस्वीकार करने व पुनः मौका के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र परिवादी द्वारा दिनांक 17.07.2026 को पेश किया, उस पर कोई कार्यवाही नही होने से परिवादी दिनांक 14.08.2026 को एसीएम मुण्डावर श्री मनीष जाटव से मिला और केस के बारे में बातचीत की तो उन्होने परिवादी से उनके ड्राईवर गजेन्द्र से बात करने के लिए कहा, एसीएम मुण्डावर के कहने पर परिवादी उनके ड्राईवर गजेन्द्र से मिला तो आरोपी द्वारा परिवादी को कहा कि एसीएम साहब ने आपके लिए बता दिया है आपके केस में दुबारा कुरेजात रिपोर्ट आदेश कर देंगे। इसके लिए एसीएम साहब ने 50,000/-रूपये पहले देने के लिये कहा है। इस पर परिवादी विक्रम सिंह द्वारा दिनांक 15.08.2026 को एसीबी चौकी अलवर पर आकर एक लिखित शिकायत देने पर, परिवादी की उक्त शिकायत के क्रम में एसीबी द्वारा दिनांक 15.08.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन मोबाईल से वार्ता करवाकर व परिवादी को आरोपी श्री गजेन्द्र सिह के पास भिजवाया जाकर रूबरू करवाया जाने पर आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी के केस मे एसीएम मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से कुरेजात रिपोर्ट दुबारा मंगवाने व डिक्री के आदेश करवाने के लिये रिश्वत मांग सत्यापन के समय 50000/-रूपये श्री मनीष जाटव, एसीएम मुण्डावर व 5000/-रूपये स्वयं के लिये मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान 15000/-रूपये रिश्वत के लेना एवं शेष 40000/-रूपये की मांग पर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे दिनांक 17.08.2026 को 25000/-रूपये की रिश्वत राशि परिवादी से प्राप्त कर ग्रहण की गई व उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी गजेन्द्र सिंह के कब्जे से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित होना पाया जाने पर नियमानुसार कानूनी प्रावद्यानो की पालना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री विक्रम सिंह से संबंधित कार्य कुरेजात रिपोर्ट दुबारा मंगवाने व डिक्री के आदेश मांग सत्यापन व ट्रेप कार्यवाही के समय श्री मनीष जाटव एसीएम मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा के पास लम्बित था।अतः आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला बास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक (प्राईवेट वाहन चालक) सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा का उक्त कृत्य अपराध अन्तगत धारा 7 ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित को प्रेषित है। संदिग्ध आरोपी श्री मनीष जाटव एसीएम मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा की संलिप्ता के क्रम में अनुसंधान के दौरान स्पष्ट किया जा सकेगा। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर..............कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामसरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी ग्राम ढहला बास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा हाल वाहन चालक (प्राईवेट वाहन चालक) सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 313 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1355-57 दिनांक 19.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 3-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** SURJEET SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 19/08/2026 18:08:35

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)